



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234735
CG-DL-E-31032022-234735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1484]
No. 1484]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

का.आ. 1536(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (47) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के उद्देश्यों के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 और अनुवर्ती वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवसंरचना ऋण निधि अर्थात्, कोटक अवसंरचना ऋण निधि लिमिटेड (पैन:AAACK5920G) को अधिसूचित करती है, नामतः-

- यह कि अवसंरचना ऋण निधि आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2फ और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त शर्तों के अनुरूप होगी और उनका अनुपालन करेगी, तथा
- यह कि अवसंरचना ऋण निधि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) द्वारा यथा अपेक्षित नियत तिथि को अथवा उस से पहले अपनी आय की विवरणी दाखिल करेगी।

[अधिसूचना संख्या. 22/2022/फा. सं. 178/27/2017- आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।